कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड

निकट–विकास भवन, सिविल लाइन, गोण्डा।

पत्रांक 499 / ल0सिं0 / स्टोर–18 / जिप्सी / 2018–19 दिनांक 07 : 07: 2018

नीलामी सूचना

महामहिम राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश की ओर से एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि इस विभाग की जिप्सी संख्या यू0पी0 32डी0 / 0423 की नीलामी, जहाँ एवं जैसी स्थिति में है, दिनांक 16–07–2018 को अपरान्ह 3:00 बजे केन्द्रीय लघु सिंचाई भण्डार गोण्डा में शासनादेश संख्या 3087–टी / 30–4–38 / 90, दिनांक 27.8.1992 द्वारा गठित जिला स्तरीय समिति की उपस्थिति में की जायेगी। नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति निम्न शर्तों के साथ बोली में भाग ले सकते हैं।

1. नीलामी में भाग लेने वाले सभी बोली दाताओं को रु0 5000.00 (रुपये पॉच हजार मात्र) दिनांक 16–07–2018 को ही 12:00 से 2:00 बजे तक जमा करना होगा। बिना धरोहर धनराशि जमा किये किसी को भी बोली बोलने की अनुमति नहीं होगी।
2. उच्च बोली दाता को बोली के धनराशि का 50 प्रतिशत धनराशि (धरोहर राशि को सम्मिलित करते हुए) अगले कार्य दिवस तक अधोहस्ताक्षरी के पदनाम से ड्राफ्ट के रुप में जमा करना होगा अन्यथा धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
3. बोली स्वीकृति की सूचना के 15 दिवस के अन्तर्गत स्वीकृता को बोली के अवशेष धनराशि को जमा करते हुए वाहन को ले जाना होगा।
4. नीलामी की धनराशि पर, नियमानुसार जी0एस0टी0 इत्यादि, सम्बन्धित बोली दाता को जमा करना होगा।
5. वाहन को दिनांक 16–07–2018 तक प्रातः 11–00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में केन्द्रीय भण्डार लघु सिंचाई गोण्डा में आकर भली–भॉति देखा जा सकता है, बाद में किसी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।
6. नीलामी प्रक्रिया के उपरान्त नीलामी में भाग लेने वाले सम्बन्धित की धरोहर धनराशि उसी दिन ही (स्वीकृता को छोड़कर) वापस कर दी जायेगी।

अधिशासी अभियन्ता,
लघु सिंचाई खण्ड,
गोण्डा।